(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 948–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–2–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 168/अपील/2013–14.

.....

नारायण सिंह पिता शंकर सिंह चौहान
निवासी चन्द्रशेखर वार्ड बैतूल
तहसील व जिला बैतूल

..... आवेदक

विरूद्ध

प्रेम पिता सुखराम कहार
निवासी बस स्टेण्ड के पास शाहपुर
तहसील शाहपुर जिला बेतूल

..... अनावेदक

.....

श्री आर0एल0 भम्मानी, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.2.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील शाहपुर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अर्न्तगत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा पाठई तहसील शाहपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 92 रकबा

3.666 हेक्टेयर पर अनावेदक द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 19–9–2013 को आदेश पारित कर कब्जा हटाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 11–4–14 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा 12–2–15 को आदेश पारित की द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया कि आवेदक के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 02/ए/14 प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 30–11–2015 को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद निरस्त हो गया है । अतः व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है क्योंकि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है ।

4/ अनावेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश इस आधार पर निरस्त किये गये हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् साक्ष्य लेकर अवैध अतिक्रमण को प्रमाणित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में आयुक्त का यह विधिक दायित्व था कि वे प्रकरण को तहसील न्यायालय के लिये विधिवत् साक्ष्य लेकर प्रकरण का निराकरण करने के लिये प्रत्यावर्तित करते, परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नहीं किये जाने से उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । चूँकि जैसा कि

उपर विश्लेषण किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है और न ही साक्ष्य से अवैध अतिक्रमण प्रमाणित किया गया है और उपरोक्त स्थिति पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी कोई विचार नहीं किया गया है इसलिये उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में में उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुये विधिवत् साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणदोष पर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने के लिये तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर